भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 2559

उत्तर देने की तारीख: 04.08.2026

मैट्रिकोत्तर और मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजनाएं

2559. श्री रमाशंकर बिद्यार्थी राजभर:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं से लाभान्वित छात्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि अनेक राज्यों में छात्रवृत्ति वितरण में विलंब की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ओ.बी.सी. श्रेणियों के छात्रों के लिए एक विशेष शैक्षणिक सहायता योजना शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का ओ.बी.सी. छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं से लाभान्वित हुए छात्रों की संख्या संलग्नक में दी गई है।

(ख): राज्य, प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक ओबीसी छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। निधि जारी करने में विलंब मुख्य रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपूर्ण प्रस्ताव जमा करने, पहले से जारी की गई निधियों के लिए उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने, कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के एसएनए-स्पर्श प्लेटफॉर्म से न जुड़े होने और बैंक खातों को आधार से न जोड़ने आदि कारणों से होता है।

निधि संवितरण की दक्षता और पारदर्शिता में सुधार के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एसएनए-स्पर्श प्लेटफॉर्म से जुड़ना अनिवार्य किया गया है। यह प्लेटफॉर्म निधियों

की रियल टाइम, उपयोग आधारित ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है। छात्रवृत्तियों का भुगतान राष्ट्रीय पोर्टल (एनएसपी) के माध्यम से आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) से किया जाता है। साथ ही, पूर्ण प्रस्ताव और उपयोग प्रमाण-पत्र समय पर प्रस्तुत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ क्षेत्रीय स्तर की बैठकों, राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों और वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) के माध्यम से लगातार अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

(ग): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, ओबीसी के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए पहले से ही पीएम-यशस्वी और श्रेयस-ओबीसी जैसी व्यापक योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है।

(घ): योजनाओं में संशोधन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सभी संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श करके किया जाता है।

संलग्नक

क्र.सं.	वित्त वर्ष	ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लाभार्थियों की संख्या (लाख में)	ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लाभार्थियों की संख्या (लाख में)
1.	2023-24	18.43	27.16
2.	2024-25	20.61	24.53
3.	2025-26	29.81*	33.93*

* अनुमानित
